OUR PUBLICATIONS

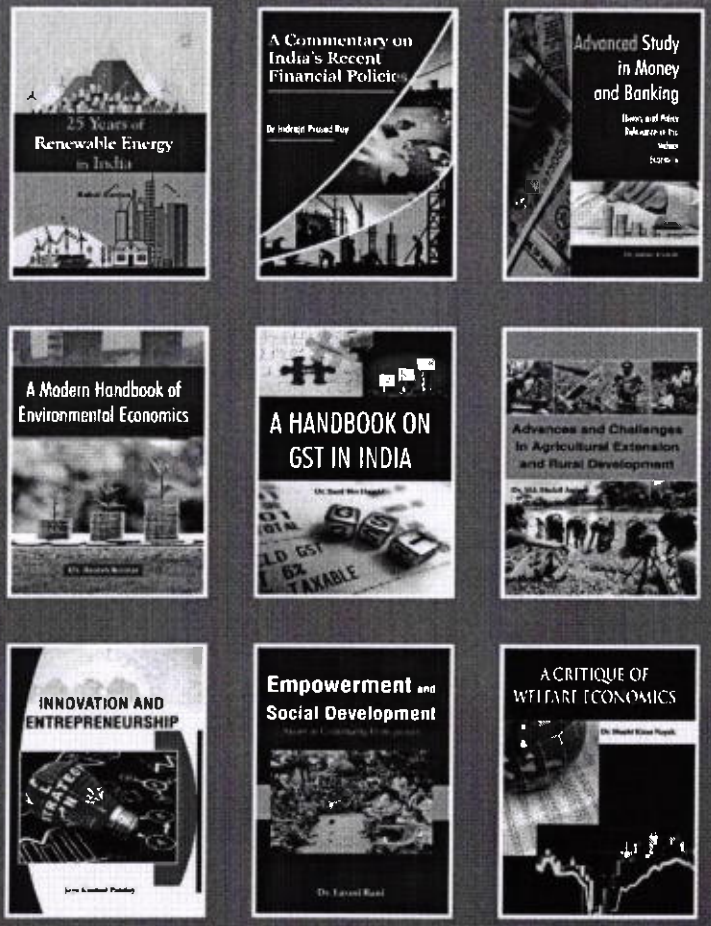

Iobus Press

448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-22753916

ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 13 अंक 1 जनवरी-फरवरी 2021

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Referred Hindi Language Journal

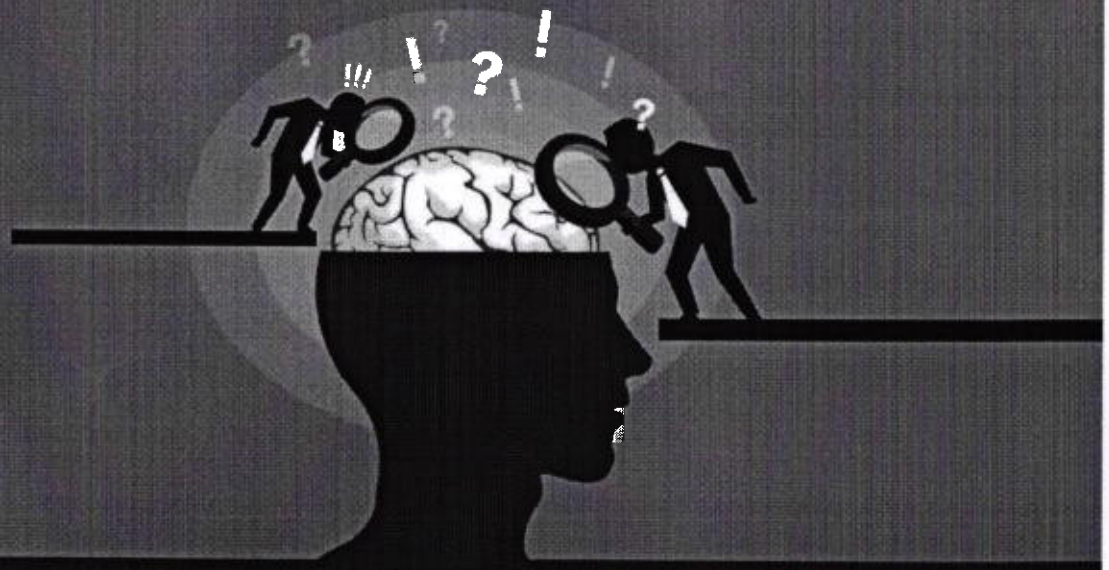

IMPACT FACTOR : 5.051

K.C.S. Arts & Comm
College Durg (C.G.)

दृष्टिकोण

जूडो में स्थिर संतुलन पर वजन वर्ग का प्रभाव चन्द्रशेखर बांधे; डॉ. राजीव चौधरी 749
बांग्ला काव्य और गांधी जी डॉ. राम विनोद रे 754
मानव जीवन में वनस्पतियों का महत्व (वैदिक साहित्य के आलोक में) डॉ० दीप्ति वाजपेयी; कु० मोनिका सिंघानिया 760
वैदिक काल में स्थानीय प्रशासन का विकास डॉ० रितु तिवारी 764
साहित्य में थर्ड जेंडर: हाशिये की दुनिया कृष्णा कुमारी 767
निराश्रित एवं पारिवारिक किशोर विद्यार्थियों में "आत्मविश्वास" श्रीकृष्ण जांगिड़; डॉ. अखिलेश जोशी 770
सांसद निधि के उपयोग में पारदर्शिता का अध्ययन यशोदा पटेल; डॉ० आयशा अहमद 774
मन्नू भंडारी की कहानियों में नए जीवन मूल्यों का चित्रण प्रा. डॉ. दिग्विजय टेंगसे 777
आधुनिक जीवन शैली में योगाष्टाङ्गों का महत्व डॉ. चंद्रकांत पंडा 780
नासिरा शर्मा के कथा साहित्य में साम्राज्यवादी विचारधारा का अनुशीलन अजय कुमार 788
हिन्दी साहित्य में ललित निबंधों की मौलिकता प्रदीप कुमार तिवारी 792
घनानंद काव्य का भाषा शिल्प सौन्दर्य डॉ. तृप्ता 795
भारत में सु शासन और उसके समक्ष चुनौतियाँ डॉ. सुरेन्द्र मिश्र 798
आर्थिक विकास बनाम संस्कृति और पर्यावरण : भारत के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन एन राजेन्द्र सिंह 804
महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा : एक अध्ययन मोनिका भाटी 808
समकालीन काव्य सृष्टि में पर्यावरण दृष्टि शाहिद हुसैन; डॉ. श्रद्धा हिरकने 811
योग शिक्षा की अभिनव विधियाँ: हिंदी भाषी यौगिक वर्णमाला चार्ट की रचना एवं परिवर्धन सतीश कुमार; पूनम पंवार; परन गौड़ा 818
जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में समाज में नारी का महत्व स्मिता शर्मा; डॉ. चित्रा 826
बेरोजगारी की राजनीतिक यथार्थ (अखिलेश के 'अन्वेषण' उपन्यास के संदर्भ में) वनाली नाथ 829
भारतीय उपभोक्ता और उत्पाद एवं सेवा प्रदाता कंपनियों के अंतर्संबंधों में डिजिटल मीडिया की भूमिका डॉ. आदित्य कुमार मिश्रा 832
भारतीय लोकतंत्र में दल और दलबदल की राजनीति डॉ. रविन्द्र सिंह राठौड़; प्रो. अनिल धर 836
उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन शिक्षा, कौशल विकास एवं क्षमता संवर्धन वर्तमान परिदृश्य, भावी चुनौतियां एवं अवसर
डॉ. संजय सिंह महर; डॉ. हेमंत बिष्ट 840
छत्रपति शिवाजी महाराज की दृष्टिकोन में स्त्री डॉ. हेमलता काटे 854
भ्रष्टाचार से लड़ाई और अन्ना हजारे का नेतृत्व आलोक तिर्की 857
राजनीतिक जागरूकता की शक्ति एवं महत्त्व हामिद अली 860
भारतीय लोकतंत्र में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक: एक अध्ययन डॉ. जोनी इम्मानुएल तिर्की 863
बिहार की राजनीति में बदलाव की अपेक्षाएँ: एक अध्ययन कृष्णदेव राय 866
बिहार में सुशासन और दलित सशक्तिकरण : एक अध्ययन प्रभात आनन्द 868
केन्द्र – राज्य सम्बंध : बदलते परिदृश्य चन्द्रभान सिंह 872
विमर्श एवं विद्या केंद्रित आलोचना श्रीमति मीतू वर्गीस; डॉ. श्रीमती आँचल श्रीवास्तव 878
विकसित और विकासशील राष्ट्रों में बुजुर्गों की देखभाल: एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य डॉ. स्मिता राय; डॉ. भूपेन्द्र बहादुर सिंह 881
भिण्ड अंचल की सामाजिक व्यवस्था का इतिहास : एक अध्ययन डॉ. शालिनी गुप्ता 886
जनजातीय समुदाय में तीज त्यौहार एवं परिवर्तन का विश्लेषण (छ.ग. राज्य की मुरिया जनजाति के विशेष संदर्भ में) डॉ. ममता पात्र 890
स्वामी विवेकानन्द : सामाजिक विचारक के रूप में प्रेमलता 893
संस्कृत नाट्यशास्त्र पर कालिदास की शैली का प्रभाव डॉ० अवधेश कुमार यादव 895
पितृसत्तात्मक व्यवस्था और नारी : अप्प दीपो भव डॉ० जागीर नागर 898
समाज में निरन्तर दोयम दर्जे की अनुभूति डॉ० प्रदीप कुमार सिंह 903
पंजाब नाटशाला : नाट्य मंचन का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रंगमंच डॉ० सुनीता शर्मा 909
विद्यार्थियों में परीक्षा दबाव को कम करने में योग व ध्यान की भूमिका शैली गुप्ता; डॉ० मंजू शर्मा 914
शोभाकरण अलङ्कारसर्वस्वखण्डन जयरथमतखण्डनञ्च डॉ. प्रीतम राज 916
हिंदी आलोचना का समकालीन परिदृश्य अमित डोगरा 921

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College

सांसद निधि के उपयोग में पारदर्शिता का अध्ययन

यशोदा पटेल

शोधार्थी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (भारत)

डॉ० आयशा अहमद

सहायक प्राध्यापक, (राजनीति विज्ञान विभाग), सेठ.आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

प्रस्तुत शोध पत्र में सांसद निधि के उपयोग में पारदर्शिता का अध्ययन किया गया है। जब से सांसद निधि योजना की शुरूआत हुई है तब से यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इसलिए इस पर अध्ययन करने की आवश्कता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक योजना स्कीम है। जिसके लिए निधि पुरी तरह भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना विकास कार्यों तथा टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए है। इसके अंतर्गत सड़कों, विद्युत, पेय जल, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर महसुस की गई जरूरतों पर आधारित टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर बल दिया गया है।

प्रस्तावना:- सांसद निधि योजना की शुरूआत 23 जुलाई 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में की गई थी इससे पहले भी इस तरह की योजना चल रही थी लेकिन यह पार्षदों और विधायकों के लिए थी। किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब जनप्रतिनिधि को कुछ राशि प्रदान की जाये। इस प्रकार की राशि सर्वप्रथम मुम्बई नगर निगम के पार्षदों को 1790 में देना प्रारम्भ किया गया था। प्रारम्भ में यह राशि 50 हजार प्रतिवर्ष प्रत्येक पार्षद को आवंटित किया गया और साथ में यह अधिकार दिया कि वे यह राशि निगम से संबंधित कार्यों में से किसी भी कार्य पर अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। कुछ समय बाद राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। एक बार जब मुम्बई नगर निगम के पार्षदों को इस तरह की राशि से जनता का सहयोग करने का अधिकार मिल गया तो महाराष्ट्र के विधायकों ने भी 1980 के मध्य इस प्रकार की राशि की मांग की गई। शुरूआत में प्रत्येक विधायक 10 लाख रूपये तक की राशि प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र के विकास हेतु खर्च कर सकता था। बाद के वर्षों में इस राशि को दुगुना कर दिया गया। अन्य राज्यों में भी विधायकों ने महाराष्ट्र का उदाहरण देकर इसी प्रकार की विधायक निधि की मांग करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार के विधायकों को शीघ्र ही इस तरह का अधिकार मिल गया, इस तरह इन राज्यों के विधायकों को सांसदों की अपेक्षा ज्यादा लाभ की स्थिति प्राप्त हो गई क्योंकि विधायक निधि के कारण विधायक अपने क्षेत्रों में सांसदों की अपेक्षा सामुदायिक कार्य करवा पाने की बेहतर स्थिति में आ गए। क्योंकि सांसदों के पास इस तरह की कोई राशि उपलब्ध नहीं थी। इसलिए सांसदों ने यह महसूस किया कि वे लोग उनकी अपेक्षा विधायकों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके अधिकार में भी इसी प्रकार कि राशि की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वह सामुदायिक कार्यों को लागू करवा सकें। 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्यों ने यह मांग उठायी कि वे एक ऐसी योजना चाहते हैं कि जो पूरे प्रदेश में सभी जन प्रतिनिधियों में एक समान रूप से लागू हो।

जनवरी 1990 में सांसदों ने जो उस समय वित्त मंत्री श्री मधु दण्डवते को पत्र लिखकर कहा कि सांसदों के लिए भी ऐसी राशि की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। और प्रत्येक सांसद के लिए 2 करोड़ वार्षिक संसदीय राशि की मांग की। मधु दण्डवते महाराष्ट्र के थे, इसलिए "पार्षद निधि" और "विधायक निधि" से भलीभांति परिचित थे। 100 सांसदों का एक हस्ताक्षर युक्त "सांसद निधि पत्र" तत्कालीन सांसद राम नाईक ने प्रधानमंत्री को ज्ञापित किया। अप्रैल 1992 और मई 1993 में विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय इसे उठाया, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने महसूस किया कि यह अभियान सांसदों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है तथा प्रत्येक वर्ग द्वारा इसे सहयोग प्राप्त हो रहा है। यद्यपि यह मांग विपक्ष द्वारा थी, परन्तु सत्ताधारी वर्ग के बड़े तबके द्वारा भी इसका समर्थन किया जा रहा था। अतः प्रधानमंत्री महोदय ने अपने पार्टी के अन्दर और बाहर राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में यह घोषणा की कि उनकी सरकार एक योजना लागू करने जा रही है, जिसके अन्तर्गत सरकार प्रत्येक सांसद को उनके संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च करने हेतु 1 करोड़ प्रतिवर्ष की धनराशि उपलब्ध करवाएगी। बाद में यह राशि बढ़कर 5 करोड़ कर दिया गया।

सांसद निधि से संबंधित प्रमुख रिपोर्ट

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती देते हुए यह कहा गया था कि स्थानीय स्तर पर व्यय और वसूली 73वां संविधान संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन के अधिकार के अधिकार में है, सांसदों के नहीं तथा स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं और संवंधित व्यय के निर्धारण में सांसदों के लिए विशेष भूमिका की कल्पना नहीं थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया, अर्थात् न्यायिक स्तर पर इस सांसद निधि योजना को चालू रखने की एक तरह से स्वीकृति हो गई।

Seth R.C.S. Arts & Commerce College Durg Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

1. न्यायमूर्ति वेंकट चलैया (राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष 2000) ने सांसद निधि योजना को संविधान पर एक हमला माना था। धार्मिक पूजा स्थलों के निर्माण की अनुमति को भी पंथ निरपेक्षकता के प्रतिकूल माना गया था।
2. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश एम.एन. वेंकट चलैया ने (2002) कहा कि "एमपीलैड्स योजना संघवाद की भावना शक्तियों के वितरण के साथ" असंगत है।
3. श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार (2005) आयोग ने एमपीलैड्स को समाप्त करने की वकालत की, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था।
4. कैग रिपोर्ट (2005) में सांसद फंड के बंदर बाट के लिए कमीशन खोरी का पर्दाफाश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक या तो सांसद फंड का दुरूपयोग होता रहा है या फिर बहुत से सांसद ऐसे थे जिन्हें फंड खर्च करने की अनुमति ही नहीं मिली। एन.डी.ए. सरकार के समय में चन्दन मिश्रा, हेमा मालिनी, दारा सिंह, विमल जालान के कस्तूरी रंजन आदि कई ऐसे राज्य सभा सांसद के जिन्होंने अपने फंड का एक भी पैसा खर्च नहीं किया था।
5. वीरप्पा मोइली ने शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट (2005) की प्रस्तावना में कहा था कि प्रचलित संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा की गई है, जहां पर किए गए परिवर्तनों से सामाजिक पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद की गयी थी, वहां प्रक्रियागत भ्रष्टाचार और अकुशलता को बढ़ावा मिला है।
6. कैग रिपोर्ट (2010) सांसद निधि के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा किया। कैग रिपोर्ट के मुताबिक 44 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र में मंजूरी की गयी रकम निर्धारित से ज्यादा थी कई मामलों में धांखाधड़ी की गई थी क्योंकि फंड का इस्तेमाल करने वाले प्रोजेक्ट की जगह पर निर्माण कार्य का कोई चिन्ह तक नहीं पाया गया।

सांसद निधि में पारदर्शिता की जरूरत

1. कार्यो का समान वितरण होने चाहिए जैसे किसी एक लोकसभा के अंतर्गत 3 जिला आती है तो सभी जिलों में पैसों का समान वितरण होने चाहिए।
2. विधायक निधि और सांसद निधि में विभाजन करने की आवश्यकता है यह स्पष्ट किये जाने की जरूरत है कि विधायक निधि की क्या जिम्मेदारियां है और सांसद निधि की क्या जिम्मेदारियां है।
3. सांसद निधि को खर्च करने की शक्ति जिला स्तर पर है नोडल अधिकारी को भी है। ऐसे में सांसदों को ही बोलना की पैसा इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ सही नहीं है।
4. केन्द्र और राज्य में एक ही दल की सरकारें नहीं होती है, तो कभी कभी ऐसे राजनीतिक कारणों से भी इन परियोजनाओं को रोकने की कोशिश की जाती है।
5. जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीधे तौर पर अपने क्षेत्र का भ्रमण् करना चाहिए।
6. किसी योजना का प्रारूप बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन तक की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है अगर जिला प्रशासन सहयोग नहीं देगा तो समय पर किसी भी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन नहीं हो सकता।
7. सांसदों को अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए जागरूक होना भी आवश्यक है।
8. जितने भी काम हुए हैं सांसद निधि से उस सब की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होने से उसमें भ्रष्टाचार की सम्भावना कम होगी।

निष्कर्ष

सांसद निधि योजना जो एक वृहद विकेन्द्रित विकास की अवधारणा पर आधारित है, उसके अन्तर्गत कुछ खामियां भी है फिर भी, स्थानीय स्तर पर विकास के लिए इसकी अनिवार्यता है। इस योजना के दिशा निर्देश में बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि सांसद निधि से हैंडपंप और नाली का निर्माण होगा। जबकि यही काम विधायक भी करा सकता है तो सांसद निधि का महत्व कम हो जायेगा सांसद निधि राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन की नकारात्मक मानसिकता बदलने की जरूरत है। क्योंकि सांसद निधि वही पुरानी व्यवस्था पर चलती नजर आ रही है। यहां यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सांसद निधि के उपयोग में पिछले अनेक वर्षो में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है आवश्यकता इस बात की है कि इस निधि पर फिर से विचार किया जाए क्योंकि यह जनता की कमाई पूंजी है इस बात पर भी विचार करने की भी आवश्यकता है कि कई सांसद ऐसे भी है कि अपने राशि को पूरा पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हैं इसके क्या कारण है और कई ऐसे भी सांसद है जो इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज यह जानने की जरूरत है कि सांसद निधि का आखिर औचित्य क्या है क्या वाकई इसे जनता के विकास का सरकारी वादा पूरा होता है? ईमानदारी से इन सवालों के जवाब खोजना देश के लिए जरूरी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. फर्स्ट सेट आफ गाइड लाइन फार द एमपीलैड्स फरवरी 1994, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. प्रकाश ए सूर्य: पब्लिक मनी प्राइवेट एजेण्डा द यूज एण्ड एब्यूज आफ एमपीलैड्स रूपा प. नई दिल्ली 2013।
3. मिश्रा नृपेन्द्र: हम एमपीलैड्स के परिणामों के बारे में कितना गम्भीर हैं नवीनतम संसदीय सुधार 28 जून 2013।
4. सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा निर्देश जून 2016।
5. सिह बब्बर श्री गुरबचन: कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, नवम्बर 2014।

Seth R.C.S. Arts & Commerce DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)